न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महो, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निग. प्र.क्रं.– R 596 I-17 सन् 2017

श्रीमती मंजू लता पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण भटनागर
निवासी महलरोड छतरपुर, तह.व जिला–छतरपुर(म.प्र.) ....निगरानीकर्ता

बनाम

1 .श्रीमती रानीमिश्रा पत्नी स्व. श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा
निवासी ग्राम रामगढ़, तह. व जिला–छतरपुर(म.प्र.)
2 .शासन म.प्र. .... गैरनिगरानीकर्तागण / उत्तरवादीगण

प्रदीप श्रीवास्तव; कार्ड
8-2-17

8-2-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. राजस्व संहिता

निगरानी विरूद्ध अपील प्र.क्रं. 174 / अपील / अ–70 / 14–15 आदेश दिनांक 06.01.2017 अनुविभागीय अधिकारी महोदय छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) श्रीमती रानी मिश्रा बनाम श्रीमती मंजूलता भटनागर बगैरह !

महोदय ,

निगरानीकर्ता श्रीमती मंजूलता भटनागर पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण भटनागर निवासी महल रोड छतरपुर, तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.) की हूँ जो कि निम्नलिखित निगरानी सादर पेश करती हूँ कि :–

–:: निगरानी के तथ्य ::–

Shrivastav 8/2/2017
प्रदीप श्रीवास्तव

1 . यह कि निगरानीकर्ता श्रीमती मंजूलता भटनागर के निजी स्वत्व व आधिपत्य की भूमि ख.नं. 311 / 1, 311 / 3, 312 / 3 / 2, कुल कीता 03, कुल रकवा 0.201 हेक्टर स्थित मौजा रामगढ़, तहसील व जिला–छतरपुर म.प्र. में है, जिसमें निगरानीकर्ता की वाउण्ड्री बाल बनी है तथा मौके पर निगरानीकर्ता का कब्जा है ! निगरानीकर्ता की भूमि के सामने सटई रोड़ से रामगढ़ अतरार को जाने वाली डामर रोड़ की "सड़क" है! उपर्रोक्त सड़की की दूसरी ओर गैरनिगरानीकर्ता के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 315 / 4 रकवा 0.105 आरे भूमि है ! ख.नं. 315 के खसरा में नवीन बटांक 315 / 1, 315 / 2, 315 / 3, 315 / 4 है तथा चालू नक्शा में उपर्रोक्त बटांक एवं सड़क की कोई तरमीम नहीं है! ख. नं. 315 / 1 रकवा 0.304 हेक्टर म. प्र. शासन बूढ़ बाध डूब क्षेत्र की आराजी है जिसमें गैरनिगरानीकर्ता का अवैध कब्जा है, ख. नं. 315 / 2 रकवा 0.214 हेक्टर में गैरनिगरानीकर्ता के जेठ अखिलेश मिश्रा का अबैध कब्जा है, ख.नं. 315 / 3 रकवा 0.190 हेक्टर में छतरपुर सटई रोड़ निकली है ख.नं. 315 / 4 रकवा 0.105 में सटई अतरार तिगेला से राममढ़ डामर की सड़क निकली है, गैर निगरानीकर्ता द्वारा पूर्व में कथित भूमि के संबंध में सर्व प्रथम अवैघ कब्जा का प्र. क्रं. 138 / बी–121 / 12–13 में योग्य अधीनस्थ न्यायालय अति. तहसीलदार छतरपुर म.प्र. के यहां पेश किया था जो मान्नीय न्यायालय अतिरिक्त तहसीदार महोदय छतरपुर द्वारा दिनांक 24.913 को निरस्त कर दिया गया था !

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–596–एक/2017 जिला–छतरपुर

श्रीमती मंजू लता विरूद्ध श्रीमती रानी मिश्रा व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
26–04–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 174/अपील/अ–70/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 06–01–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 07–06–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 26/4	